

भा.सं. 6 / अन्तर्गत पारा 143 जो वि० अधि०

रामदेवी सिंह, जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर

ग्रामन्वेषावर

द्वारा
रीता सिंह सचिव रामदेवी सिंह जगदीश सिंह आदि

बरगमा व तहसील-सगड़ी,

बनाम

जिला-आजमगढ़।

जो सरकार आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद बाधिनी रीता सिंह सचिव रामदेवी सिंह जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सगड़ी से जवाब करा दी गयी। तहसीलदार सगड़ी की जांच आख्या दिनांक 18.08.11 के आधार पर संचालित किया गया। उन्होंने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि गाटा सं० 1242/1-516 जो रामवल्लभ बुत्र महाशय्या व उषेन्द्र उषेन्द्र बुत्र रामदेवी, अमेरिका बुत्र रामदेवी व रामदेवी सिंह, जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर अखण्ड चन्द्रिका बुत्र विक्रमा साठो उकरोड़ा के नाम तथा गाटा सं० 1257क/-005 हे० 1258/-048 हे० रामदेवी सिंह, जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर सचिव रीता सिंह बत्ली अमेरिका नि० ग्राम व रामजनम बुत्र महादेव, कुलविजय बुत्र भारत, नरेन्द्र अनिल, रीता बुत्र नाथ बुत्रगण कीजदार साठो हितामुद्दीनपुर तथा गाटा सं० 1262क/-048 हे० रामदेवी सिंह, जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर सचिव रीता बत्ली अमेरिका नि० ग्राम व कुलविजय बुत्र भारत, रामजनम बुत्र महादेव नि० ग्राम के नाम तथा गाटा सं० 1256/-124, 1257ख/-076, 1261/-040, 1262ग/-067 हे० रामदेवी सिंह जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर व कमली उर्फ कमला बत्ली लालचन्द नि० अकरपुर के नाम तथा गाटा सं० 1260क, 1260ख, 1262ख कुल रकबा-008 हे०, व 1259/1-182 हे० नवनीत इंटर मेडिकल स्कूल आर्जु साहस साकिन बघावर द्वारा रामदेवी सिंह, जगदीश सिंह मेमोरिबल समिति बघावर अखण्ड चन्द्रिका सिंह बुत्र साठो विक्रमा सिंह साठो उकरोड़ा के नाम सरकारी अभिलेख में सहसंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। किन्तु गाटा सं० 1242/-518, 1257क/, 1258 कुल रकबा-039, व 1262क/-036, 1256/-062, 1257ख -038, 1261/-020, 1262ग/-003 तथा 1260क, 1260ख, 1262ख कुल रकबा-015 व 1259/-168 हे० भूमि रकबा-099 हे० में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रयोग होता है, जिसमें कृषि समिति के अन्तर्गत निहित स्कूलों के भवन एवं खेल का मैदान है, इसके कारण उक्त भूमि पर कृषि प्रयोजन एवं विशिष्ट अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त होता है। अकृषिक भूमि घोषित किया जाने से प्रतिकूल की है।

पत्रावली में बादीगण सतीश, तेजय, अशोक कुमार, उषेन्द्र, कुलविजय व रामजनम का ह हवान अंकित हुआ। जिसमें उन्होंने अपने हवान में यह कहा है कि उक्त रकबे पर कृषि कार्य नहीं होता है, वर्तमान समय में शैक्षणिक कार्य सम्पन्न होता है उक्त भूमि के अकृषिक घोषित होने पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आख्या प्रास 135 में दिया गया है, उक्त भूमि अकृषिक के रूप में प्रयुक्त प्रयोग में लायी जा रही है तथा अकृषिक घोषित करने पर बादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तहसीलदार की आख्या से सहमत हूँ जो स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

तहसीलदार सगड़ी की आख्या दिनांक 18.08.11 स्वीकार की जाती है। विवादित गाटा सं० 1242/-518, 1257क व 1258 कुल रकबा-039, 1262क/-036, 1256/-062, 1257ख/-038 हे० 1262/-020, 1262ग/-003, 1260क, 1260ख, 1262ख कुल रकबा-015 व 1259/-168 हे० कुल रकबा 99 हे० स्थित ग्राम बघावर को अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सगड़ी/उप निबन्धक सगड़ी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्रवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

सगला जारी - दाया ७ दि
श.सं. 365

229	21-0-11
13-00	27-0-11
	21-0-11

उप जिलाधिकारी,
सगड़ी, आजमगढ़।

शुभ प्रतिक
21-8-11